न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
धन्ना पुत्र दाना जाति मेघवाल निवासी करवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1.अमरा पुत्र दाना 2.वरींगा पुत्र दाना 3.कोजा पुत्र तुलछा फौत के कायम मुकाम- 3/1.बाबूलाल पुत्र स्व.कोजा 3/2.भारमल पुत्र स्व.कोजा 3/3.मंगला पुत्र स्व.कोजा 3/4.केली पुत्री स्व.कोजा 3/5.धोली पुत्री स्व.कोजा 3/6.माडु पुत्री स्व.कोजा 4.फगलू पुत्र तुलछा समस्त जाति मेघवाल निवासी करवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 5.सरकार जरिए नायब तहसीलदार रानीवाडा

प्रकरण संख्या अपील — 19/2016

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलांट
2-श्री मधुसुदन व्यास अभिभाषक रेस्पोडैन्ट संख्या 1
3-श्री अजरूद्दिन खोखर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3/1 से 3/6 व 4
4-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-19.12.2017

1. अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रानीवाडा के आदेश दिनांक 08.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो राजस्व प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 में खातेदार कोजा पुत्र तुलछा मेघवंशी वगैराह साकिन करवाडा में अर्न्तगत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किया है।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया जो प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में संबंधित पक्षकारो की बहस सुनी गई।

3. संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करवाडा में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस की आराजी आई हुई है जिसके खसरा नंबर 1074, 1096, 1089, 1091, 1096, 1072, 1073, 1097, 1098, 1100, 1099 कुल भूमि 11.01 हैक्टर आई हुई है जिससे कौजा फगलु पिता तुलछा का 1/2 हिस्सा व अमरा, धन्ना, वरींगा पिता दाना का 1/2 हिस्सा आया हुआ है सन् 2001 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में सभी पक्षकारो ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु नायब तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा किया जाये। तब नायब तहसीलदार ने कौजा पुत्र तुलछा को खसरा नंबर 1074 रकबा 3.03 हैक्टर में से 1.51 हैक्टर भूमि व खसरा नंबर 1096 रकबा 3.69 में से 1.24 हैक्टर भूमि दी थी। इसी तरह फगलु पुत्र तुलछा को खसरा नंबर 1089 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि व खसरा नंबर 1074 रकबा 3.03 हैक्टर में से 1.52 हैक्टर भूमि, खसरा नंर 1091 रकबा 0.12 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 1096 रकबा 3.69 हैक्टर में से 1.10 हैक्टर खसरा नंबर 1072 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1073 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि दी है। अमरा पुत्र दाना के बंट में भूमि खसरा नंबर 1091, 1096, 1097, 1098 कुल रकबा 6.13 हैक्टर में से 1.83 हैक्टर भूमि दी है। धन्ना पुत्र दाना को खसरा नंबर 1096, 1097, 1100 कुल रकबा 7.53 हैक्टर में से 1.73 हैक्टर भूमि दी है।

Sd

वरींगा पुत्र दाना को खसरा नंबर 1096, 1097, 1098, 1100 कुल रकबा 7.57 हैक्टर में से 1.73 हैक्टर भूमि दी है। धन्ना व वरींगा को शामलाती भूमि खसरा नंबर 1070, 1071, 1099 कुल रकबा 0.22 हैक्टर भूमि दी गई है। धन्ना का खेत खसरा नंबर 1100 में वरींगा की ढाणी बनी हुई है व कौजा के खेत खसरा नंबर 1096 में फगलु की ढाणी बनी हुई है। नायब तहसीलदार ने पटवारी को मौके पर न भेजकर जल्दबाजी में उक्त बंटवाडा करने का आदेश दिया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपीलांट के विद्वान वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की कोई जांच न कर जल्द बाजी में उक्त आदेश पारित किया है। मौके पर ढाणी किसी की बनी हुई है खेत अन्य को दे दिया है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके की जांच कर न गलत आदेश पारित किया है। खसरा नंबर 1100 जो धन्ना की खातेदारी का है उसमें वरींगा की ढाणी बनी हुई है।कोजा का खेत खसरा नंबर 1096 जिसमें फगलु की ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को जिन जिनकी जहां ढाणी बनी हुई है, उक्त खेत को उसी खातेदार को दिया जाना न्याय हित में उचित था। परन्तु उनके द्वारा मोके की कोई जांच नही की गई मात्र कागजो के अनुसार बंटवाडा किया गया है जो गलत होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी को खेत खसरा नंबर 1096,1097, 1100 1099 दिये गये है उक्त खेत खसरा नंबर 1100 में आने जाने के लिये रास्ता खसरा नंबर 1091,1096, 1097, 1098 में से रास्ता था। उक्त रास्ता अब बन्द कर दिया है। बंटवाडे में रास्ता नही है तो किया गया बंटबाडा खारिज योग्य है। अपीलार्थी अनपढ है तथा उसे कानून वगैराह का कोई ज्ञान नही है तथा अंगुठा करना जानता है। बंटवाडा के समय उसे भूमि बराबर दी गई है परन्तु आने जाने के लिए रास्ता नही दिया है। रेस्पोडेन्ट अमरा ने जान बुझकर रास्ता बन्द किया गया है।अपीलांट अपने खेत में खडाई हेतु साधन वगैरा नही ले जा सकता है। बंटवाडा करते समय रास्ते के बारे में उसे कोई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय को बंटवाडा करते समय सभी सह खातेदारान को खेत में आने जाने का रास्ता दिया जाना उचित था किन्तु उनके द्वारा किया गया आदेश रास्ते के अभाव में खारिज योग्य है। दिनांक 3.03.2016 को रेस्पोडेन्ट अमरा ने रास्ता बंद कर दिया तब अपीलार्थी उसके पास गया तथा रास्ता खोलने का निवेदन किया तो उसने रास्ते खोलने का मना किया तथा बताया कि बंटवाडे में कोई रास्ता नही है तब अपीलांट नकल लेने बाबत तहसीलदार कार्यालय रानीवाडा गया वहां पर रेकर्ड नहीं होने से दिनांक 04.03.2016 को जालोर आ कर नकल मांगी जो दिनांक 09.03.2016 को प्राप्त होने पर उक्त बंटवाडा व रास्ते की न होने की जानकारी हुई। जानकारी के अनुसार अपील अन्दर म्याद पेश की है। अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार जी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर पत्रावली रिमांड करावे।

5. रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। वह प्रार्थना पत्र बिलकुल ही विधी के तथा तथ्यो के विपरीत है। अपील में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 08.12.2001 को प्रशासन गांवो के संग शिविर में प्रश्नगत बटवारा किया गया था। उस समय अपीलांट धन्ना हाजिर था और उसने बटवारे पर अपना अंगुठा किया था।अमरा भी कोई पढा लिखा व्यक्ति नहीं है। उसने भी अंगुठा किया था। अपील में यह लिखा गया है कि जिस समय प्रशासन गांवो के संग शिविर लगा उस समय करवाडा में अमरा का बेटा सरपंच था। यह कथन भी गलत है। क्योकि जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है उस पर सरपंच के रूप में मांगी देवी नामक महिला के हस्ताक्षर है तथा बटवारे के बारे में पटवारी तथा भू अभिलेख निरीक्षण द्वारा जांच भी गई है। बटवारे का स्टाम्प अपीलांट धन्नाराम पुत्र दानाजी स्वंय दिनांक 27.11.2001 को रानीवाडा से खरीद कर लाया था और उसने खुद ने बटवारा लिखवाया था और सब के अंगुठे करवाये थे। इसके बाद बटवारा तस्दीक किया जाकर नियमानुसार बटवारे का आदेश 08.12.2001 को पारित किया गया और उसके बाद उसका नामान्तरकरण भी दिनांक 08.12.2001 को मौके पर भरा गया था। अपील के आधार के पैरा संख्या 3 को पढा जावे तो उसमें यह कहा गया है कि रास्ता बंद हो गया है। यदि रास्ता 16 साल से बंद है तो 16 साल बाद अपील म्याद बाहर है। क्योकि बंटवारे को चुनौति देने का अवसर या कारण उसी समय उत्पन्न होता था। इसी अपील के आधार संख्या 5 में यह लिखा गया है कि दिनांक 03.03.2016 को रास्ता बंद किया है। इस का अर्थ यह निकलता है कि पहले रास्ता चलता था। इस प्रकार अपील में जो आधार लिये जा रहे है वह आधार परस्पर विरोधाभाषी है। यदि बटवारे के समय रास्ता नही मिला तो अपील का कारण 08.12.2001 को पैदा हो जाता था। इतने समय तक अपील क्यो नहीं की गई। इसका कोई स्पष्टीकरण अपील में तथा

Sd

धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नही है।यदि रास्ता दिनांक 03.03.2016 को रोका गया है तो यह अपील पोषणीय नहीं है। क्योकि किसी खातेदारी में रास्ता रोकने का मामला ग्राम पंचायत के तथा एक विधीक समयावधि बीतने के बाद तहसीलदार के पास जाता है। बटवारे के बाबत अपील म्याद के भीतर नही है। रास्ते के बाबत यह अपील धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है। बटवारे का आदेश धारा 53 में तहसीलदार द्वारा किया गया है। यह आदेश आपसी सहमति के इकरार पर किया गया है। बंटवारे को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जब तक कोई दावा नहीं चलता है तब तक उसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है। इस प्रकार इस प्रकरण में जो बंटवारा किया गया है। वह इनकारनामें के आधार पर आपसी सहमति से किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3/1 से 3/6 व 4 अभिभाषक ने बहस में व्यक्त कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है तो कोई आपति नहीं है।

7. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी का आपसी सहमति से प्रशासन गांवो के संग अभियान में आवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं, जो विधीवत हैं। अत: अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।

8. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के न्यायहित में अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस ने आपसी सहमति अनुसार धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किए गए बंटवाडा आदेश दिनांक 08.12.2001 के विरूद्ध अपील की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने प्रशासन गांवो के अभियान 2001 में अपनी आराजी मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा का आपसी सहमति अनुसार बंटवाडा खातेदारो द्वारा प्रस्तावित किया जाकर उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के तहत अधीनस्थ न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, जिसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई और तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के तहत प्रस्तावित बंटवाडा की अपीलाधीन स्वीकृति आदेश कमांक/4045-48 दिनांक 08.12.2001 के द्वारा प्रदान की गई।

उक्त प्रस्तावित बंटवाडा स्वंय अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा आपसी सहमति पूर्वक लिखवाया जाकर प्रस्तावित कर भूमिधारी से उस पर तदनुसार स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया था। धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने वाले बंटवाडे में भूमिधारी/तहसीलदार को अपनी ओर से कोई भी बंटवाडा किए जाने का आदेश पारित नहीं किया जाता हैं, उनके द्वारा तो सिर्फ खातेदार व सह खातेदारो द्वारा प्रस्तावित आपसी सहमति बंटवाडा पर अपनी स्वीकृति ही प्रदान करनी होती हैं। आपसी सहमति पूर्वक किए जा रहे बंटवाडा में सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि कम अथवा अधिक एक दूसरे को देने अथवा लेने हेतु स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार उभय पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवाडा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 में दिया गया स्वीकृति आदेश विधी सम्मत पाया जाता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2001 को यथावत रखा जाता है ।

(बी.एल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

2016/00030